

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम

क्रमांक : स्था/09/2025/ ५७१९

दिनांक:- ३१ अक्टूबर, 2025

- : आ-दे-श : -

- 01 निम्नांकित सारणी में अंकित कर्मचारीगण के पूर्व प्रतिनियुक्ति/कार्य-निष्पादन बाबत आदेश तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं:-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	नाम न्यायालय जहाँ कर्मचारी पदस्थापित है	नाम न्यायालय जिसमें कर्मचारी को कार्य निष्पादन हेतु लगाया गया था
01	02	03	04
01	जितेन्द्र बैरवा रीडर ग्रेड-III	ACJ&JM No. 21	Spl. Court, CBI No. 5
02	पार्थ सारथी लिपिक ग्रेड-II	Spl. Court, CBI No. 1	Spl. Court, CBI No. 3

- 02 प्रशासनिक कारणों से जयपुर महानगर-प्रथम न्यायक्षेत्र में कार्यरत/पदस्थापित निम्नांकित कर्मचारीगण का स्थानान्तरण/पदस्थापन निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	नाम न्यायालय जहाँ कर्मचारी पदस्थापित है	नाम न्यायालय जिसमें स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाता है	कर्मचारी जिसके स्थान पर लगाया जाता है
1.	अरि दमन शर्मा आशुलिपिक ग्रेड-III	ACJ&JM No. 15 (Bassi HQ)	Spl. JM (NI Act Cases) No. 2	दिलशाद खान आशुलिपिक ग्रेड-III
2.	दिलशाद खान आशुलिपिक ग्रेड-III	Spl. JM (NI Act Cases) No. 2	ACJ&JM No. 10	दीपक अग्रवाल आशुलिपिक ग्रेड-III
3.	दीपक अग्रवाल आशुलिपिक ग्रेड-III	ACJ&JM No. 10	ACJ&JM No. 15 (Bassi HQ)	अरि दमन शर्मा आशुलिपिक ग्रेड-III
4.	राजेश करोल लिपिक ग्रेड-II	ADJ No. 8	Spl. JM (NI Act Cases) No. 10	दीपक काला लिपिक ग्रेड-II
5.	दीपक काला लिपिक ग्रेड-II	Spl. JM (NI Act Cases) No. 10	ADJ No. 8	राजेश करोल लिपिक ग्रेड-II
6.	सीताराम शर्मा वाहन चालक	Gram Nyayalaya Bassi	DJ Court	वाहन चालक के रिक्त पद पर

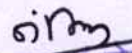
नोट:-

- a) उक्त कर्मचारीगण को अपना समस्त चार्ज/मालखाना/फाईलों आदि का लेन-देन करा कर (यदि कोई हो) तथा चार्ज लेन-देन की संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करते हुए संबंधित कर्मचारी को नवीन पदस्थापन न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु तीन दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से कार्यमुक्त किया जावे।
- 03 जयपुर महानगर-I में कार्यरत निम्नांकित कर्मचारियों को आगामी आदेश तक उनके नाम के सम्मुख अंकित न्यायालय में कार्य-निष्पादन हेतु तुरन्त प्रभाव से लगाया जाता है:-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	नाम न्यायालय जहाँ कर्मचारी पदस्थापित है	नाम न्यायालय जिसमें कर्मचारी को कार्य निष्पादन हेतु लगाया जाता है
01	02	03	04
01	मीना मीना आशुलिपिक ग्रेड-III	ACJ&JM No. 1	ACJM No. 2
02	दीपक अग्रवाल आशुलिपिक ग्रेड-III	ACJ&JM No. 15 (Bassi HQ)	ADJ Bassi
03	जितेन्द्र बैरवा रीडर ग्रेड-III	ACJ&JM No. 21	Spl. Court, CBI No. 3
04	सीताराम शर्मा वाहन चालक	DJ Court	Judge, Family Court No. 3

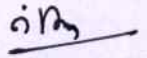
नोट:-

- a) श्री मुकेश सैनी, लिपिक ग्रेड-I न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-4, जयपुर महानगर-I को निर्देशित किया जाता है कि वे पदस्थापन न्यायालय में सम्पादित किये जा रहे पदीय कर्तव्यों के साथ-साथ प्रभारी अधिकारी (रिट्स), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-I (विशिष्ट न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. प्रकरण) के निर्देशानुसार अपील/रिट्स से संबंधित कार्य का भी सम्पादन करेंगे। इस संबंध में श्री संजय कुमार कुलदीप, लिपिक ग्रेड-II को भी निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि वे रिट्स से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली/अभिलेख का कार्यभार प्रभारी अधिकारी (रिट्स) के निर्देशानुसार श्री मुकेश सैनी, लिपिक ग्रेड-I को नियमानुसार सुपुर्द करें।


 जिला एवं सेशन न्यायाधीश
 जयपुर महानगर-प्रथम

- b) श्री सीताराम शर्मा, वाहन चालक को निर्देश दिये जाते हैं कि ग्राम न्यायालय, बस्सी को आवंटित वाहन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-12, जयपुर महानगर-प्रथम (मुख्यालय बस्सी) के राजकीय आवास पर सुरक्षित पार्क कर वाहन की चाबी, लॉकबुक आदि पीठासीन अधिकारी, ग्राम न्यायालय, बस्सी को सुपुर्द करें।
- c) उक्त कर्मचारीगण का वेतन उनके पदस्थापन न्यायालय द्वारा आहरित किया जावेगा। उक्त कर्मचारीगण अपनी उपस्थिति कार्य-निष्पादन वाले न्यायालय में अंकित करेंगे तथा इनका आकस्मिक अवकाश भी कार्य-निष्पादन वाले न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जावेगा। इनकी उपस्थिति बाबत सूचना नियमानुसार पदस्थापन न्यायालय को भिजवाई जावे।
- d) उक्त कर्मचारीगण को अपना समस्त चार्ज/मालखाना/फाईलों आदि का लेन-देन करा कर (यदि कोई हो) तथा चार्ज लेन-देन की संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करते हुए संबंधित कर्मचारी को नवीन पदस्थापन न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु तीन दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से कार्यमुक्त किया जावे।

संबंधित समस्त कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यमुक्ति से पूर्व संबंधित वर्ष अवधि के लिये वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के भाग-I की पूर्ति कर पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। संबंधित पीठासीन अधिकारी 7 दिवस के भीतर वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के भाग-II की पूर्ति कर इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।


 जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
 जयपुर महानगर-प्रथम

क्रमांक : स्था/09/2025/4719

दिनांक:- 31 अक्टूबर, 2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- | | |
|----|--|
| 01 | प्रभारी अधिकारी (लेखा/रेकॉर्ड शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-प्रथम |
| 02 | संबंधित न्यायालय/कर्मचारी, जयपुर महानगर-प्रथम |
| 03 | सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु |
| 04 | निजी पत्रावली संबंधित कर्मचारी |
| 05 | आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली/रक्षित पत्रावली |


 जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
 जयपुर महानगर-प्रथम